(13)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–291/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00180)

1. श्रीमती राधा देवी पत्नी पॉचूराम गुर्जर पुत्र स्व. श्री भूराराम गुर्जर निवासी ग्राम बाडाढेहरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. दीपक कुमार पुत्र स्व. दुर्गालाल उम्र 42 वर्ष, जाति ब्राहाम्ण निवासी नीमडी की पुलिस चौकी के पास, नाहरगढ़ रोड़, पुरानी बस्ती जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. संतोष पुत्र मोहनलाल उम्र 46 वर्ष, जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लॉट नम्बर 3659, शीतला माता की गली, नाहरगढ रोड़, पुरानी बस्ती जयपुर।
2. श्वेता उर्फ तुलसी शर्मा पुत्री मोहन लाल उम्र 46 वर्ष, जाति ब्राहाम्ण निवासी प्लाट नम्बर 3659 शीतला माता की गली नाहरगढ़ रोड़, पुरानी बस्ती, जयपुर।
3. ग्राम पंचायत धौला जरिये सरपंच पंचायत मुख्यालय धौला, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–385/17 (आरसीएमएस नं. 20167/00292)

1. दीपक कुमार पुत्र स्व. दुर्गालाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी मकान नम्बर 3669 ग्राम नीमडी की पुलिस चौकी के पास, नाहरगढ़ रोड़, पुरानी बस्ती जयपुर।
2. श्रीमती राधा देवी पत्नी पॉचूराम गुर्जर पुत्र स्व. श्री भूराराम गुर्जर निवासी ग्राम बाडाढडेहरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. संतोष पुत्र मोहनलाल
2. श्वेता उर्फ तुलसी शर्मा पुत्री मोहन लाल, जातियान ब्राहाम्ण निवासी प्लाट नम्बर 3659 शीतला माता की गली नाहरगढ़ रोड़, जयपुर।
3. ग्राम पंचायत धौला जरिये सरपंच पंचायत मुख्यालय धौला, पंचायत समिति जमवारमागढ, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.11.2019

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले क्रमशः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 05.07.2016 (प्रकरण संख्या 21/2008) एवं तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश

P.T.O.

दिनांक 20.09.2017 (प्रकरण संख्या 16/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा क्रमशः 76 एवं 75 के तहत प्रस्तुत की गई। उक्त दोनों अपीलों में वादग्रस्त आराजी एक ही होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम बाडाडेहरा, पटवार हल्का धौला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 57 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा (हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 0.6800 हैक्टयर) स्थित है जो अपीलान्ट दीपक कुमार की पुश्तैनी एंव पैतृक खातेदारी की भूमि रही है, अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा भौरीलाल पुत्र श्री सोडीलाल के देहान्त के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 22.09.2008 को अपीलान्ट दीपक कुमार के नाम स्वीकृत होकर खातेदारी अंकन हुऐ। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि को अपीलान्ट दीपक कुमार ने जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2008 को अपीलान्ट राधादेवी को विक्रय कर दी तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट राधादेवी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 06.10.2008 को स्वीकृत होकर खातेदारी का अंकन हो चुका है, इस प्रकार अपीलान्ट राधादेवी उक्त वर्णित कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हुई और मौके पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट राधादेवी के पक्ष में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 06.10.2008 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नही दी गई है और न ही कोई अपील पेश की गई और ना ही अपीलान्ट राधादेवी के पक्ष में निष्पादित उक्त वर्णित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्ययालय में नियमित वाद के जरिये चुनौती दी गई। सारांश यह कि उक्त वर्णित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण आज तक पूर्णतया प्रभावशील एंव अस्तित्व में है, इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 252 की जानकारी रेस्पोडेन्ट को प्रारम्भ से ही रही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह पुख्ता रूप से साबित कर दिया गया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाबदेवी कभी भी अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा स्व. श्री भौरीलाल उर्फ भँवरीलाल पुत्र स्व. श्री सोणीलाल की पत्नी नही थी बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी का पति भूरा पुत्र रामसहाय था, भूरा पुत्र रामसहाय तथा भौरीलाल उर्फ भंवरीलाल पुत्र सोनीलाल दोनों अलग–अलग व्यक्ति है तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 लाला का सजरा खानदान प्रस्तुत करके यह पुख्ता रूप से साबित कर दिया था कि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

भौरीलाल के दादा का नाम जगन्नाथ जबकि भूरा पुत्र रामसहाय के दादा का नाम गौरीशंकर ब्राहम्ण था। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी बहुत ही चालक एवं चतुर किस्म की महिला थी जिसने उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर भूरा पुत्र रामसहाय जगीरदार ग्राम नेकावाला की पत्नी के रूप में उत्तराधिकार की हैसियत से जागीरी का मुआवजा प्राप्त कर लिया और इस प्रकार भौरीलाल पुत्र रामसहाय ब्राहम्ण मृतक जागीरदार ग्राम डूँगाबास तहसील जमवारामगढ़ की पत्नी के रूप में उत्तराधिकारी की हैसियत से जागीरी की मुआवजा राशि प्राप्त करली, इस प्रकार ग्राम नेकावाला के जगीरदार भूरा पुत्र रामसहाय जागीर की पत्नी के रूप मे उत्तराधिकारी की हैसियत से जागीरी का मुआवाजा राशि प्राप्त करली इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी ने उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का दुरूपयोग करते हुए अपीलान्ट संख्या 1 के दादा मृतक जागीरदार भौरीलाल पुत्र सूणीलाल ब्राहम्ण जागीरदार ग्राम धौला की पत्नी बनकर जागीरी का मुआवजा प्राप्त कर लिया इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी के अपीलान्ट के दादा भॅवरलाल पुत्र सूणीलाल जागीरदार ग्राम अरजुनपुरा की पत्नी बनकर जागीरी का मुआवजा प्राप्त कर लिया, उक्त वर्णित तथ्यों से पुख्ता रूप से साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी बहुत ही चतुर एवं चालाक महिला थी जो चोरी छिपे गलत तथ्य प्रस्तुत करके राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अनपढ व भोले–भाले जागीरदारों के जागीरी रिकार्ड में अलग–अलग जागीरदारों की पत्नी बनकर मुआवजा राशि हड़पने में लिप्त रही है जो अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा भौरीलाल उर्फ भॅवरीलाल उर्फ भॅवरलाल पुत्र सोडीलाल उर्फ सोणीलाल की पत्नी नही थी बल्कि भूरा पुत्र रामसहाय अथवा उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर भौरीलाल पुत्र छीतर की पत्नी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेजों को कन्सीडर नही किया और अपीलान्ट के दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज करते हुऐ हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध रिपोर्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अग्राह्य दस्तावेजों पर सर्वथा गलत तरीके से विश्वास करके तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2017 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा नेकावाला नम्बर हदबस्त 10 सम्वत् 1987 जिसके खाता संख्या 45 के अन्तर्गत अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा का नाम भौरीलाल पि0 सोणीलाल कौम ब्राहम्ण सा. जयपुर दर्ज है, इसी प्रकार खाता संख्या 46 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी के पति का नाम भूरा वल्द रामसहाय दर्ज है, भूमि एकीकरण के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2027 के अन्तर्गत खाता संख्या 29 में गुलाब बैवा भूरा हिस्सा 2/3 दुर्गासहाय पुत्र भॅवरीलाल हिस्सा 1/3 कौम ब्राहाम्ण सा. देह दर्ज है, उक्त वर्णित दस्तावेजी सरकारी दस्तावेज है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाब देवी के पति का नाम भूरा दर्ज है तथा

P.T.O.

अपीलान्ट के पिता का नाम दुर्गासहाय पुत्र भॅवरीलाल दर्ज है, उक्त वर्णित दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है जिनसे पुख्ता रूप से साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी गुलाबदेवी भूरा पुत्र रामसहाय की पत्नी थी न कि अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा भौरीलाल उर्फ भॅवरीलाल पुत्र सोणीलाल उर्फ सेडीलाल की पत्नी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय 05.07.2016 एवं 20.09.2017 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत् 1987 मौजा धौला के खाता संख्या 85 जिसमें नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व शकूनत कॉलम नम्बर 3 में माफी भौरीलाल वल्द सोणीलाल कौम ब्राहाम्ण दर्ज है जिसके कॉलम नम्बर 16 विशेष विवरण में में उर्दू नोट का हिन्दी अनुवाद ''बहकम जनाब सैटलमेन्ट ऑफिसर साहब मोरखा 4 दिसम्बर 1931 ईस्वी मशमला मिसल नम्बर 323 माफी हाजा मौजूदा माफीदार बदस्तूर बहाल रही, आईन्दा साल इसके मुताबिक कागजात जमाबंदी में अमल किया जावें, नवलकिशोर अहलमद माफी मोरखा 26.2.31'' दर्ज है उक्त वर्णित तथ्यों से पुख्ता रूप से साबित है कि अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा भौरीलाल की माफी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाना की माफी अलग–अलग दर्ज रही है, उक्त वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य से यह पुख्ता रूप से साबित है कि भौरीलाल एवं भूरा दोनों अलग–अलग व्यक्ति थे और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नानी अपीलान्ट दीपक कुमार के दादा भौरीलाल की पत्नी नही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों कन्सीडर नही किया और दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2016 एवं 20.09.2017 पारित पारित किये गये है जो गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा पारित रिमाण्ड निर्णय दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील संख्या 291/16 बउनवानी राधादेवी बनाम संतोष वगैरहा विचाराधीन थी तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ को रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील के विचाराधीन रहने के दौरान में रिमाण्ड कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही करके कानूनी पेचिदगियॉ उत्पन्न कर दी है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की सर्वथा गलत रिपोर्ट को आधार बना कर एवं जागा श्री जगदीश जागा की लिखावट को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि विधि अनुसार जागा की लिखावट साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धौला द्वारा दिनांक 22.05.1996 को जारी

माननीय आयुक्त
जयपुर

कुर्सीनामा, वारिस प्रमाण पत्र को निर्णय का आधार बनाया गया जबकि उक्त कुर्सीनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्राप्त किया गया जो कूटरचित दस्तावेज है, तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों के मुकाबले सरपंच द्वारा जारी उक्त दस्तावेज की कोई कानूनी अहमियत नही है लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य, सबूतों को दरकिनार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 पारित किया है जो विधि विरूद्ध, विधिक प्रक्रियों के विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2017 बउनवानी सन्तोष वगैरह बनाम ग्राम पंचातय धौला वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया मु0 राधादेवी के पति पांचूराम एक दबंग एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो ग्राम बाडाडेहरा में निवास करते है जो गरीब असहाय व्यक्तियों की आराजी पर एन केन प्रकरण जमीनों को हड़प करने पर आमादा रहते है इसी संदर्भ में ग्राम बाडाडेहरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 57 रकबा 2 बीधा 14 बिस्वा की खातेदारी मृतक भौंरीलाल पुत्र श्री सोणीलाल उर्फ सोडीलाल के नाम थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 22.09.2008 को पांचूराम ने मृतक भौरीलाल के फर्जी वारिस बनाकर दीपक कुमार के नाम फर्जी तौर पर ग्राम पंचायत से नामान्तरकरण करवा लिया व उसी दिनांक 22.09.2008 को ही स्टाम्प पांचूराम पत्नी राधादेवी के नाम से खरीद कर दिनांक 24.09.2008 को फर्जी बने वारिस दीपक कुमार से रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र अपनी पत्नी राधादेवी के नाम करवा लिया एवं पटवारी हल्का से सांझकर दिनांक 25.09.2008 को मुताबिक विक्रय पत्र नामान्तरकरण भराया जाकर समक्ष ग्राम पंचायत धौला द्वारा दिनांक 06.10.2008 को स्वीकार करवा लिया गया जिसकी भनक रेस्पोडेन्ट को नही होने दी गई। उन्होने आगे कथन किया है कि इस फर्जी कृत्य के जानकारी प्रत्यार्थी को होने पर नामान्तरकरण संख्या 250 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष अपील की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2016 को रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 22.09.2008 को विधि विरूद्ध मानते हुऐ खारिज कर प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ के समक्ष रिमाण्ड होने पर तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन के दौरान अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार जमवारामगढ के विरूद्ध एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो खारिज होने पर उसकी निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भी की गई जो राजस्व मण्डल द्वारा भी खारिज कर दी गई तत्पश्चात् तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दोनों पक्षों को मृतक भौरीलाल के वारिसान के सम्बन्ध में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात हेतु उभयपक्ष को नोटिस दिया गया एवं तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उक्त प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर व सम्पूर्ण तथ्यों दस्तावेजों पर विचार कर प्रत्यर्थी को मृतक भौरीलाल पुत्र श्री सोणीलाल उर्फ सोडीलाल का जायज वारिस मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थी दीपक कुमार ने फर्जी तरीके से भौरीलाल पुत्र श्री सोणीलाल उर्फ सोडीलाल का फर्जी वारिस बनकर एवं फर्जी तरीके से नामान्तरकरण संख्या 250 अपने नाम कराया और उसी दिन अपीलार्थी राधादेवी के नाम स्टाम्प खरीद कर विक्रय पत्र दिनांक 24.09.08 को रजिस्टर्ड करवा दिया एवं इसकी अपील होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को रिमाण्ड किया गया जबकि अपीलान्ट जॉच नही करवाने हेतु उक्त प्रकरण में बार–बार मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अपर न्यायालयों में लगाता रहा तथा उनमें असफल होने पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष निराधार तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दोनों पक्षकारों की सुनवाई कर विस्तृत तौर पर वारिसों की जांच कर साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर मृतक भौरीलाल पुत्र श्री सोणीलाल उर्फ सोडी लाल के वारिसान तय किये है जिसमें किसी प्रकार की गलती या कानूनी भूल नही की है बल्कि विधि के अनुरूप ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है अपीलान्ट के हक में फर्जी तौर पर विरासत के आधार पर खुले नामान्तरकरण संख्या 250 को रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के यहॉ चैलेंज किया गया है जब मूल नामान्तरकरण संख्या 250 फर्जी होने से खारिज कर दिया गया तो उसके आधार पर खुला नामान्तरकरण संख्या 252 स्वतः ही निरस्त हो गया है जिसको अन्य न्यायालय में चुनौती देने की कोई आवश्यकता नही रह जाती है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किये गये प्रकरण में हल्का पटवारी धौला से जॉच करवाने के उपरान्त उभयपक्षों को एवं उनके रिकार्ड से सम्बन्धित एवं मृतक खातेदार के विधिक वारिसों के सम्बन्ध में साक्ष्य, सबूत दस्तावेजो इत्यादि में यही पाया गया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 संतोष व श्वेता ही स्व. भौरीलाल के वारिसान है। उन्होन यह भी कथन किया है कि भूमि एकीकरण सम्वत् 2008 से 2027 एवं पासबुक संख्या 2008 से 2027 में भौरीलाल पुत्र सोणीलाल दर्ज अंकित है तथा दिनांक 20.12.2057 को हस्तलिखित वसीयत के अनुसार श्रीमती गुलाब बाई बेवा भौरी गंगायत जाति ब्राहम्ण निवासी जयपुर ने अपने जयपुर स्थित मकान की वसीयत अपनी पुत्री फुलादेवी के नाम की गई थी और इस वसीयत को अंतिम वसीयत बताई गई है तथा अपनी एक ही जायन्दा पुत्री फुलादेवी बताई और यह वसीयत दिनांक 20.12.1957 को उप पंजीयक

राजस्व आयुक्त जयपुर

P.T.O.

जयपुर शहर से रजिस्टर्ड है इससे भली प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि स्व. भौरीलाल के विधिक वारिस पत्नी गुलाब देवी पुत्री फुलाबाई के जायन्दा वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ही है तथा मुताबिक प्रमाण पत्र की प्रतियों के गुलाब पत्नी भौरीलाल की मृत्यु दिनांक 23.04.1979 को एवं फुलादेवी उर्फ फूलकंवर पन्नी मोहनलाल के मृत्यु दिनांक 16.08.1985 को होना पाया गया है एवं राशन कार्ड संख्या 1467 जो कि गुलाब देवी पत्नी भौरीलाल के नाम से है इस राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों मे भी फुलकंवर पुत्री का पति मोहनलाल दोयता संतोष कुमार का नाम दर्ज है जो परिणाम स्वरूप भौरीलाल के विधिक वारिसों के रूप में दर्शाता है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वंशावली मिथ्या व बनावटी होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दस्तावेजों रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट के शपथ पत्रों एवं रजिस्टर्ड वसीयत गंगावत, जगदीश प्रसाद जागा द्वारा प्रस्तुत वंशावली एंव अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि खातेदार भौरीलाल पुत्र सुणीलाल उर्फ सोडीलाल एक ही व्यक्ति है और भौरीलाल की पत्नी गुलाबदेवी है तथा उसके एकमात्र पुत्री फूलादेवी है तथा फुलीदेवी के एक पुत्र संतोष कुमार व पुत्री श्वेता है, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से भी स्पष्ट होता है कि दीपक कुमार ने अपने दादा भंवरीलाल तथा प्रस्तुत दस्तावेजात में भूरा होने का गलत फायदा उठाकर विचाराधीन भूमि की विरासत अपने नाम खुलवाकर उसे अपीलान्ट राधा देवी को विक्रय कर दिया जबकि भूरा के पिता का नाम रामसहाय होने व भंवरी लाल के पुत्र दुर्गा लाल होने के दस्तावेजात पत्रावली में शामिल है और इस प्रकार भंवरीलाल व भूरा नाम के दो अलग-अलग व्यक्ति होने रिकार्ड से प्रदर्शित होता है तथा मतदाता सूची की छायाप्रति से दीपक कुमार के पिता को नाम दुर्गालाल बताया गया व दुर्गालाल के पिता नाम भंवर लाल व भंवर लाल के पिता का नाम रूप नारायण बताया गया है जो विरोधाभाष की परिस्थिति है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि मृतक भौरीलाल के विरासत के वारिसों के सम्बन्ध में अपीलान्ट दीपक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारमागढ के समक्ष एक दावा घोषणा अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 90/17 उनवानी दीपक बनाम संतोष प्रस्तुत किया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2018 को दावा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील अपीलान्ट दीपक द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहाँ प्रस्तुत की गई जो अपील संख्या 693/2018 उनवानी दीपक बनाम संतोष को खारिज फरमा दिया गया है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय में श्वेता व संतोष को ही मृतक भौरीलाल का वारिस माना है, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ एवं तहसीलदार जमवारामगढ ने साक्ष्य, सबूतों को देखते हुये भौरीलाल के वारिसानों की निष्पक्ष जांच करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की कोई खामी नही है बल्कि अपीलान्ट द्वारा मिथ्या कथनों एवं बनावटी तथ्य अंकित करते हुये अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्थों के मद्देनजर

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं कैम्प कोर्ट में उपस्थित मौतविरानों से जॉच उपरान्त पाया गया कि भौरीलाल पुत्र सोडीलाल उर्फ सोणीलाल नाम के दो व्यक्ति ग्राम धौला में रहे होगे जिसकी जॉच हेतु उन्होने प्रकरण को तहसीलदार जमवारामगढ के सम्बन्ध रिमाण्ड किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्यों, विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियॉ, वसीयतनामा की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रति, मुन्तकिली प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र इत्यादि के अवलोकन एवं गुलाब बैवा भौरीलाल के नाम ग्राम धौला मे अंकित भूमि की खातेदार गुलाब के नाम विरासत का नामान्तरकरण तत्कालीन तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकार किया गया जो आगे अपील करने पर बहाल रहा तथा खातेदार गुलाब बेवा भौरीलाल के वारिस रेस्पोडेनन्ट संख्या 1 व 2 को सही माना गया है तथा इसके विरूद्ध अन्य कार्यवाही अपीलान्ट दीपक कुमार द्वारा नही की गई है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि सेडीलाल उर्फ सोणीलाल का वारिस या उत्तराधिकरी अपीलान्ट दीपक कुमार होता तो वह निश्चित ही ग्राम धौला में स्थिति आराजी की विरासत के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करता रहता लेकिन अपीलान्ट दीपक कुमार द्वारा उक्त भूमि बाबत कोई कार्यवाही नही की गई है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2016 एवं तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।